फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली

रोहिताश बनाम मक्खन लाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

दावा / प्रार्थना पत्र संख्या 156 / 2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.12.2023	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील वकील वादी ने दावे के साथ पेश किया। दावा व प्रार्थना पत्र को साथ-साथ पढ़ा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी व प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं नापूर्ति क्षति होने का अन्देशा भी प्रार्थी को ही है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 2486 / 972 / 0.4161 वाके मौजा नारहेड़ा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत व मयदखलत पैदा नही करे और ना ही किसी प्रकार से आराजी उक्त को रहन व बेचान करें। मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे तथा क्यों ना यह आज्ञा तार्फैसला दावा स्थाई कर दी जावे, जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी जरिये सम्मन टी.आई. तलबाना पेश करें। पत्रावली दिनांक 24.01.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़	
	24.1.24	[illegible] फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर [illegible] प्रशा. कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि. 22.3.24 को पेश हो।	
	22/3/24	अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी पक्ष भी रजिस्टर्ड तलबी होकर। दिनांक 7.6.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़	
	3/5/24	प्रार्थी/वादी ने मूल वाद नं. [illegible] [illegible] पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने [illegible]	अ० नि०

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़

रोहिताश

पु.ना. 136/2023 रोहिताश बनाम मेमवन

प्रा० पत्र 212 R.T.Act

आज पत्रावली पेश हुई। मूल वादी पत्रावली के अदम पैरवी खारिज होने पर खारिज करवाया है चूंकि प्रा० पत्र 212 R.T.Act दावे का भाग होता है अतः प्रा० पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड